कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**(1) सर्वश्री निओटेरिक इन्फोमेटिक प्रा0 लि0, 7-11ए, तिलक मार्ग, डालीबाग, लखनऊ।** **(2) सर्वश्री क्योसेरा सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्रा0 लि0, 209, ए एण्ड बी द्वितीय तल, शालीमार स्क्वायर, लखनऊ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**252 / 08 21.05.2008 (प्रतिप्रेषित)**
प्रार्थी की ओर से	**श्री के0 के0 जैन एवं श्री आर0 एल0 जोशी, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ के द्वारा प्रतिप्रेषित वाद पर निर्णय

सर्वश्री निओटेरिक इन्फोमेटिक प्रा0 लि0, 7-11ए, तिलक मार्ग, डालीबाग, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-252 / 08 पर दिनांक 08.08.2008 को निर्णय पारित करते हुए कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा Multi Function Printer को अवर्गीकृत के रूप में करदेय निर्धारित किया गया था। उक्त निर्णय के सन्दर्भ में सर्वश्री क्योसेरा सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्रा0 लि0, 209, ए एण्ड बी द्वितीय तल, लखनऊ द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष अपील की गई। माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 06.06.2013 द्वारा अपील स्वीकार की गयी एवं वाद पुन: निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय अधिकरण द्वारा यह निर्देश दिया गया कि Multi Function Printer की कार्य प्रणाली, उसका उपयोग, कम्प्यूटर सिस्टम से उसकी Connectivity तथा शेड्यूल-II, पार्ट-बी के क्रमांक-22 पर अंकित प्रविष्टि के परिप्रेक्ष्य में यथोचित व्याख्या करते हुए निर्णय लिया जाये।

2. सर्वश्री क्योसेरा सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्रा0 लि0, 209, ए एण्ड बी द्वितीय तल, लखनऊ की ओर से श्री आर0 एल0 जोशी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत तर्कों में उनके द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-बी के क्रमांक-22 की प्रविष्टि निम्न भाँति है :-

Computer system and peripherals, Electronic Diaries.

उनके द्वारा कहा गया कि Single Function Printer या Multi Function Printer दोनों ही कम्प्यूटर सिस्टम के peripherals हैं। Multi Function Printer में प्रिन्टिंग के अतिरिक्त कुछ अन्य सुविधाएं जैसे स्कैन, फोटो कापी तथा फैक्स की भी उपलब्ध होती है। इन सुविधाओं से इस डिवाइस का मूलभूत कार्य जो कि प्रिन्टर का है उसी रूप में रहता है। यह भी कहा गया कि सामान्य बोलचाल की भाषा में तथा उपयोगिता की दृष्टि से इसे प्रिन्टर ही माना जाता है। उनके द्वारा उदाहरण देते हुए यह कहा गया कि वर्तमान में मोबाइल फोन के साथ कैमरा, इन्टरनेट आदि की अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं तब भी उन्हें मोबाइल फोन ही माना जाता है। अधिवक्ता महोदय द्वारा कामन पारलेन्स के सिद्धान्त के आधार पर यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति

....2

जिसे फैक्स या फोटो कापी मशीन की आवश्यकता हो वह Multi Function Printer नहीं लेता है केवल मुख्यत: प्रिन्टर के उपयोग के लिए वह Multi Function Printer लेता है। अत: यह भी एक तरह का प्रिन्टर है। उनके द्वारा peripherals की परिभाषा पर बल देते हुए कहा गया कि प्रिन्टर कम्प्यूटर peripherals है अत: Multi Function Printer को भी कम्प्यूटर peripherals के रूप में 4% की दर से करयोग्य होना चाहिए। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता महोदय द्वारा निम्न निर्णयों की छाया प्रतियॉं दाखिल की गयीं :-

1. Hindustan Poles Corporation vs Commissioner of Central Excise, Calcutta, 2006 (196) ELT 400 (SC)
2. Bharat Forge & Press Industries vs Collector of Central Excise, 1990 (45) ELT 525 (SC)
3. Dunlop India Ltd. & Madras Rubber Factory Ltd. vs Union of India and others, (1983) (13) ELT 1566 (SC)
4. M/S. Xerox India Ltd. vs Commissioner Of Customs, Mumbai on 22 November, 2010

अधिवक्ता महोदय द्वारा मुख्यत: M/S. Xerox India Ltd. vs Commissioner Of Customs, Mumbai के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर बल दिया गया जिसमें Multi Function मशीन को कम्प्यूटर का इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस मानते हुए कस्टम एक्ट की हेडिंग 84.71.60. के अन्तर्गत माना गया है इसे residuary हेडिंग 84.79.89. के अन्तर्गत नहीं माना गया है।

3. सर्वश्री निओटेरिक इन्फोमेटिक प्रा0 लि0, 7-11ए, तिलक मार्ग, डालीबाग, लखनऊ की ओर से श्री के0 के0 जैन, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि दी गई परिभाषा के अनुसार प्रिन्टर Computer peripherals है। कोई भी मशीन जो एक से ज्यादा काम में ली जाती है उसके मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। उनके द्वारा कमिश्नर, छत्तीसगढ़ द्वारा Digital Printer cum photocopier के सम्बन्ध में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2006 की छाया प्रति भी दाखिल की जिसमें Printer cum photocopier को I.T. Product माना गया है और इस पर 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। अधिवक्ता महोदय द्वारा West Bengal Tribunal का निर्णय Ricoh India Ltd. v. ACST (2008) 14 VST 491 भी प्रस्तुत किया गया जिसमें Multi Function Printer को Computer peripherals माना गया है।

4. विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष यह तर्क रखा गया था कि Multi Function Printer से प्रिन्टिंग, स्कैनिंग, ई-मेल, फैक्स एवं फोटो कापियर का भी कार्य लिया जा सकता है। फोटो कापियर, स्कैनिंग तथा फैक्स के लिए कम्प्यूटर की कोई आवश्यकता नहीं होती है तथा यह कार्य Multi Function Printer से स्वतन्त्र रूप से किया जा सकता है अत: इसे Computer peripherals के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता।

5. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि Multi Function Printer में प्रिन्टिंग के लिए कम्प्यूटर से जोड़कर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में तथा स्कैनिंग के लिए इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य लिया जाता

....3

है । इसके साथ ही इस डिवाइस द्वारा स्वतन्त्र रूप से फोटो कापियर, स्कैनर और फैक्स का भी काम लिया जा सकता है । सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे प्रिन्टर ही कहा जाता है । M/S. Xerox India Ltd. vs Commnr. Of Customs, Mumbai के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष Multi Functional Machines पर कस्टम एक्ट के अन्तर्गत करदेयता का बिन्दु निहित था । Multi Functional Machines के द्वारा प्रिन्टिंग, स्कैनिंग एवं कापियर का कार्य लिया जाता था । कस्टम अधिकारी एवं कस्टम ट्रिब्यूनल द्वारा इसे अवर्गीकृत मानते हुए residuary हेडिंग के अन्तर्गत classifi किया गया था । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि इस मशीन के 85% कम्पोनेन्ट एवं पार्ट प्रिन्टिंग से सम्बन्धित हैं जो यह स्पष्ट करता है कि इसका मुख्य कार्य प्रिन्टिंग का है और इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मशीन को कम्प्यूटर की इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के रूप में माना गया है । West Bengal Tribunal द्वारा भी यह निर्णय दिया गया है कि यदि कोई मशीन विभिन्न कार्यों में प्रयोग होती है तो उसके मुख्य कार्य को ही करदेयता की दृष्टि से विचार किया जायेगा । प्रस्तुत मामले में विचाराधीन डिवाइस Multi Function Printer का मुख्य कार्य प्रिन्टिंग का है । इसे कामन पारलेन्स में प्रिन्टर के नाम से ही जाना जाता है । अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा M/S. Xerox India Ltd. vs Commissioner Of Customs, Mumbai के वाद में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में Multi Function Printer पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-बी के क्रमांक-22 के अन्तर्गत Computer peripherals की भाँति करदेयता होनी चाहिए ।

6. मेरे द्वारा उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि Multi Function Printer से यद्यपि कई कार्य लिये जा सकते हैं, किन्तु इसका मुख्य कार्य प्रिन्टिंग का है और कामन पारलेन्स में भी इसे प्रिन्टर के रूप में जाना जाता है । इसका प्रिन्टर के रूप में प्रयोग कम्प्यूटर के साथ ही किया जा सकता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा M/S. Xerox India Ltd. vs Commissioner Of Customs, Mumbai के वाद में दिये गये निर्णय तथा प्रस्तुत अन्य निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में इसे Computer peripherals माना जाता है और तदनुसार इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-बी के क्रमांक-22 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

7. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

8. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 05 मार्च, 2014 ह0 / 05.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।